



कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

E-mail: dfoeast_bpur@rediffmail.com

07850-252223 Fax- 07850-252223

क्रमांक/मा.चि./2025/5205

भानुप्रतापपुर, दिनांक 21/07/2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :- Diversion of 2.58 ha. (For approach road area 0.95 ha. and power line area 1.62 ha.) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Sanvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favor of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjahara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East – Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh – reg.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रं./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/1080 रायपुर दिनांक 27/04/2025।

—000—

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है, कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय नवा रायपुर द्वारा प्रकरण के अंतर्गत 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। तदसंबंध में उप वनमंडलाधिकारी, भानुप्रतापपुर के जांच निरीक्षण पश्चात् 05 बिन्दु की जानकारी तैयार कर सादर सम्प्रेषित है :-

क्रमांक	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	2	3
1	Clarification on the current status and usage of the 1.50 ha. road area earlier diverted by the Central Government.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमि. रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में माईनिंग क्षेत्र में पहुंचमार्ग हेतु 1.50 हे. वन कक्ष क्रमांक PF 876 एवं RF642 में व्यपवर्तन हुआ था किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 वृक्ष होने के कारण उस मार्ग को उपयोग नहीं किया जा रहा है।
2	Specifics regarding the 0.95 ha. now proposed for road construction, including the actual extent presently in use and its purpose.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमि. रायपुर द्वारा वर्तमान में वन कक्ष क्रमांक RF642 के कुल रकबा 0.95 हे. क्षेत्र में लौह अयस्क का परिवहन हेतु उपयोग किया जा रहा है। जिसका वन व्यपवर्तन हेतु नवीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है। आवेदन संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग हेतु नियमानुसार वनमार्ग शुल्क जमा किया जा रहा है।
3	Whether the previously diverted 1.50 ha. forms part of the newly proposed 2.50 ha. or is separate.	नवीन प्रस्तावित मार्ग पूर्व में व्यपवर्तित मार्ग रकबा 1.50 हे. से पृथक है। वर्तमान में रकबा 2.58 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है।

4	KML file of the 1.50 ha. road area already diverted.	पूर्व रकबा 1.50 हे. क्षेत्र सड़क निर्माण हेतु व्यपवर्तित किया गया था। के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
5	For the proposed 1.62 ha. electricity line, details such as voltage, Right of Way (RoW), and the KML file.	आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमि. रायपुर द्वारा रकबा 1.62 हे. क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल तैयार कर 33 के.वी. विद्युत लाईन बाबत वन व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत विद्युत लाईन के लिये 2700 × 1.50 मीटर राइट ऑफ वे इंसुलेटेड केबल विद्युत लाईन विस्तार के लिये प्रस्तावित की गई है।

अतः प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वन मण्डलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

पृ.क्र./मा.चि./2025/5206

भानुप्रतापपुर, दिनांक 2.1. / 0.7 / 2025

प्रतिलिपि :- श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम - बोरझरा, उरला, गुमा रोड़ रायपुर
छ.ग. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


वन मण्डलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर